

कार्यालय नगर पालिका परिषद् आरंग, जिला-रायपुर(छ.ग.)

जोन क.	स्थान का नाम	आवासीय			व्यावसायिक			भूमि	
		कच्चा	आंशिक पक्का	पक्का	कच्चा	आंशिक पक्का	पक्का	आवासीय	व्यावसायिक
01	कैठा तालाब से शक्तिनाला पंप हाउस तक एन.एच.6 के 50 मीटर दुरी तक	9	14	15	10	15	16	03	04
02	(1)सदर रोड से लता डागा के मकान तक (2)कालेज चौक से बिजली आफिस तक	8	13	14	9	14	15	03	04
03	अन्य समस्त वार्ड	7	12	13	8	13	14	02	03

परिक्षेत्रवार वार्षिक भाड़ा मूल्य की संशोधित दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं—
—:: संशोधित दरें (01 अप्रैल 2016 से लागू)

01. पक्का — RCC/RBC/पत्थर की छतयुक्त पक्का भवन।
02. आंशिक पक्का — सीमेंट/लोहे की चादर या कबेलु टाईल्स की छतयुक्त भवन।
03. कच्चा — जो उपरोक्त दोनों वर्गों में नहीं।
04. 31 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक (चालू वित्तीय वर्ष) 5% अधिभार (सम्पत्ति कर पर)
05. 01 जनवरी से 31 मार्च तक (चालू वित्तीय वर्ष) 10% अधिभार (सम्पत्ति कर पर)
06. 31 मार्च तक जमा नहीं करने की स्थिति में 6.25% ब्याज समस्त करों पर सम्पत्ति कर की दरें :-

01. आरंभ से 10000/-रु. पर 6%
02. 10001/- से 15000/-रु. पर 7%
03. 15001/- से 20000/-रु. पर 8%
04. 20001/- से 25000/-रु. पर 9%
05. 25001/- से उपर पर 10%

टीप:- बिन्दु क्र. 01 से 04 के भवन/भूमि पर परिक्षेत्र क्र. 01 से 02 की दरें लागू होगी।

01. विशेष वर्ग के भवन में निम्नांकित प्रकार के भवन शामिल हैं: माल/सुपरबाजार, मल्टीप्लेक्स/सिनेप्लेक्स, आटो मोबाईल शोरूम, बैंक/वित्तीय संस्थाएं/ए.टी.एम, शादी हाल, स्विमिंग पूल वाले होटल तथा 20 शय्याओं से बड़े निजी चिकित्सालय.....।
02. उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किसी इकाई द्वारा भूमि के किसी भाग का उपयोग शॉपिंग कम्प्लेक्स, शोरूम दूकान होटल या अन्य व्यावसायिक प्रयोजन के लिये किये जाने की दशा में उस पर समीपस्थ मोहल्ले/कालोनी के लिये निर्धारित व्यावसायिक दर लागू होगी।
03. यदि किसी भूमि या भवन का उपयोग उद्योग चलाने के लिये किया जा रहा है तो उस पर संबंधित परिक्षेत्र की व्यावसायिक दर लागू होगी।
04. कालोनाईजर, नये और शेष मोहल्लों के संबंध में यदि किसी वार्ड में स्थित नई कॉलोनी या किसी पुराने मोहल्ले का उल्लेख होने से रह गया हो तो ऐसी कॉलोनी/मोहल्ले पर सम्पत्तिकर का निर्धारण उसके समीपस्थ अधिक दर वाली कॉलोनी/मोहल्ले के लिये लागू दर के आधार पर किया जाएगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् आरंग